न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर

(पीठासीन अधिकारीः घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0)

रैफरेंस संख्या –94/2018

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रूपवास जिला भरतपुर

....प्रार्थी

बनाम

1. पूनिया पत्नी स्व0 सोना कौम धीमर निवासी रूपवास तहसील रूपवास– मृतक
2. रामभरोसी–मृतक
   - 2/1. शान्ती पत्नि रामभरोसी
   - 2/2. राजू पुत्र रामभरोसी
   - 2/3. मंगल पुत्र रामभरोसी

   ] कौम धीमर निवासी रूपवास तहसील रूपवास

   2/4. ललिता पुत्री रामभरोसी पत्नी अनारस्वरूप कौम धीमर निवासी गोर्वधन गेट डीग– मृतक
3. शिवसिंह– मृतक
   - 3/1. गंगादेई पत्नी शिवसिंह
   - 3/2. टीनू पुत्र शिवसिंह
   - 3/3. विनोद पुत्र शिवसिंह
   - 3/4. रवि पुत्र शिवसिंह
   - 3/5. सुनीता पुत्री शिवसिंह पत्नी मनोहर बांदीकुई
   - 3/6. विनीता पुत्री शिवसिंह पत्नी लौहरे सागर करोली राज0
4. कटोरा पुत्री सोना पत्नी गंगा मथुरा उ0प्र0
5. हरभेजी पुत्री सोना पत्नी दामोदर महुआ राज0– मृतक
6. अलवेन्द्र सिंह पुत्र बृजेन्द्र सिंह जाति ठाकुर निवासी कस्बा रूपवास तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

....अप्रार्थीगण

रैफरेन्स प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत आराजी खसरा नम्बर 2042/1253 रकबा 0.08 बीघा के विरुद्ध बिना आंवटन के दर्ज गैर खातेदारी/खातेदारी को निरस्त कर सिवायचक दर्ज करने बाबत।

उपस्थितः–
1–पैरोकार सरकार,
2–श्री दुलीचन्द शर्मा अभि0 अप्रार्थी0
3– श्री हेमराज शर्मा अभि0 अप्रार्थी0

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

15

निर्णय

दिनांक:– 06.02.2026

प्रार्थी तहसीलदार (भूमिधारी) रुपवास ने यह रेफरेन्स एल.आर.एक्ट की धारा 82 के तहत अप्रार्थी के खिलाफ प्रस्तुत किया गया है, जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर 2042/1253 रकबा 0.08 बीघा किस्म गैर मुमकिन खान वाके ग्राम रूपवास तहसील रूपवास जिला भरतपुर में स्थित है। उक्त भूमि जमांबदी सम्वत् 2069–72 में अप्रार्थीगण गैर खातेदार दर्ज रिकार्ड है। विवादित भूमि राजकीय खाते में सिवायचक गै0मु0 खान के रूप में दर्ज रिकार्ड है जिसका इन्द्राज राजस्व रिकार्ड खसरा टीप सम्वत् 2012–2015 के राजकीय खाता संख्या 714 में खसरा नम्बर 1253/56.16 बीघा के रूप में रहा है। उक्त भूमि पर अप्रार्थीगण के पूर्वज सोना पुत्र बिहारी बिना नामान्तकरण के जमाबंदी सवंत् 2020 के खाता संख्या 448 में गैर खातेदार दर्ज रिकार्ड हुआ जो जरिये विरासत नामा0स0 1215 से अप्रार्थीगण संख्या 1 लगात 5 के नाम दर्ज रिकार्ड हुआ। विवादित आराजी पर अप्रार्थीगण काबिज काश्त है। उक्त भूमि पर दर्ज निजी खातेदारी मान0 उच्च न्यायालय राजस्थान द्वारा डीबी सिविल रिट पिटिशन न01536/2003 अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान राज्य व अन्य के तहत जारी आदेश 02.8.2004 में दिये गये निर्देशों के अनुसार निरस्त की जाकर राजकीय स्वामित्व के सिवायचक खाते में दर्ज करने योग्य है। माननीय लोकायुक्त प्रमुख सचिव जयपुर के लोकायुक्त प्रकरण के कमांक 11(151) लो.आ.स./2013/15899 जयपुर दिनांक 20.2.2014 तथा मान0 उच्च न्यायालय खण्डपीठ जयपुर में जनहित याचिका डीबी सिविलि रिट पिटिशन न014757/2017 पुरूषोत्तम बनाम राजस्थान राज्य व अन्य के तहत जारी आदेश दिनांक 27.11.2017 में दिये गये निर्देशों की अनुपालना में रैफरेन्स प्रकरण तैयार किये गये है। उक्त भूमि पर दर्ज खातेदारी प्रभाव शून्य है एवं इसके प्रभाव में किये गये समस्त नामान्तकरण संख्या 1215 इत्यादि को निरस्त करने योग्य है। भूमि आवंटन आदेश नॉन ज्यूडिशियल का प्रकरण है जिसका रैफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रस्तुत किया जाना है।

इस प्रकार तहसीलदार (भूमिधारी) ने अन्त में निवेदन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 2042/1253 रकबा 0.08 बीघा किस्म गैर मुमकिन खान पर दर्ज खातेदारी तथा इसके प्रभाव में किए गए समस्त नामान्तकरण संख्या 1215 इत्यादि को निरस्त फरमाये जाने तथा भूमि को पूर्व की भांति खाता संख्या 01 में दर्ज कराये जाने हेतु रेफरेन्स स्वीकार किया जावें।

रेफरेन्स दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुये व अप्रार्थी संख्या 06 ने आदेश 1नियम 10 के तहत पक्षकार बनने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया जो बाद सुनवाई प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आवश्यक पक्षकार बनाया गया।

उभय पक्ष अभिभाषगण की बहस सुनी गई।

प्रार्थी की ओर से राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में रेफरेन्स में अंकित कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि विवादित आराजी गै0मु0 खान दर्ज है, ऐसी भूमियां धारा 16 आर.टी.एक्ट 1955 के तहत प्रतिबिन्धत श्रेणी में आती हैं। जिस पर किसी व्यक्ति

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

(16)

को किसी भी प्रकार से खातेदारी अधिकार नहीं मिल सकते हैं। मा0न0 उच्च न्यायालय राजस्थान द्वारा डीबी सिविल रिट पिटिशन न01536/2003 अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान राज्य व अन्य के तहत जारी आदेश 02.8.2004 व माननीय लोकायुक्त प्रमुख सचिव जयपुर के लोकायुक्त प्रकरण के क्रमांक 11(151) लो.आ.स./2013/15899 जयपुर दिनांक 20.2.2014 तथा मान0 उच्च न्यायालय खण्डपीठ जयपुर में जनहित याचिका डीबी सिविलि रिट पिटिशन न014757/2017 पुरूषोत्तम बनाम राजस्थान राज्य व अन्य के तहत जारी आदेश दिनांक 27.11.2017 में दिये गये निर्देशों की अनुपालना में रैफरेन्स प्रकरण तैयार किये गये है। उक्त निर्देशो के तहत जारी आदेश की पालना में रेफरेन्स स्वीकार किया जाकर रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को उक्त आराजी पर दर्ज खातेदारी तथा इसके प्रभाव में किए गए नामान्तकरण संख्या 1215 को निरस्त किया जावे तथा पैरोकार सरकार द्वारा भूमि को पूर्व की भांति खाता संख्या 01 में दर्ज कराये जाने हेतु रेफरेन्स प्रेषित किये जाने हेतु प्रार्थना की गई।

अभिभाषक अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में जाहिर किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 2042/1253 रकबा 0.08 बीघा किस्म गैर मुमकिन खान वाके ग्राम रूपवास में स्थित है जो कभी भी न तो चारागाह भूमि रही है जो धारा 16 राज0टी.एक्ट के तहत प्रतिबंधित भूमियों में नही आती है और न ही धारा 16 के तहत बाधित है। अप्रार्थीगण का कथन है कि उक्त आराजी का आवंटन वैधानिक रूप से अप्रार्थी के हक में किया गया है तदानुसार ही खातेदारी अधिकार प्राप्त हुये है। तहसीलदार की वर्तमान मौका रिपोर्ट अनुसार आराजी में पक्का मकानात, गैत कुछ हिस्सा खाली पानी से भरा हुआ है जिससे रैफरेन्स काबिल खारिजी है। अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा रेफरेन्स को खारिज किये जाने की प्रार्थना की गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष के कथनों पर मनन किया। प्रार्थी तहसीलदार ने विवादित आराजी खसरा नम्बर 2042/1253 रकबा 0.08 बीघा किस्म गैर मुमकिन खान वाकेग्राम रूपवास तहसील रुपवास पर दर्ज खातेदारी तथा उसके प्रभाव में किये गये नामान्तकरण संख्या 1215 को निरस्त करने तथा विवादित भूमि पर दर्ज निजी खातेदारी मान0 उच्च न्यायालय राजस्थान द्वारा डीबी सिविल रिट पिटिशन न01536/2003 अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान राज्य व अन्य के तहत जारी आदेश 02.8.2004 में दिये गये निर्देशों के अनुसार निरस्त की जाकर राजकीय स्वामित्व के सिवायचक खाते में दर्ज करने योग्य है। माननीय लोकायुक्त प्रमुख सचिव जयपुर के लोकायुक्त प्रकरण के क्रमांक 11(151) लो.आ.स./2013/15899 जयपुर दिनांक 20.2.2014 तथा मान0 उच्च न्यायालय खण्डपीठ जयपुर में जनहित याचिका डीबी सिविलि रिट पिटिशन न014757/2017 पुरूषोत्तम बनाम राजस्थान राज्य व अन्य के तहत जारी आदेश दिनांक 27.11.2017 में दिये गये निर्देशों की अनुपालना में रैफरेन्स तैयार किया जाकर जाकर विवादित आराजी पर हो रहे अप्रार्थीगण के खातेदारी इन्द्राज को निरस्त कर वापिस पूर्व की भांति हो रहे इन्द्राज को बहाल करने की प्रार्थना की गई है। तहसीलदार रूपवास की मौका रिपोर्ट

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

(17)

अनुसार जमाबंदी संवत् 2069–72 में खसरा नम्बर नम्बर 2042/1253 रकबा 0.08 बीघा किस्म गैर मुमकिन खान वाकेग्राम रूपवास तहसील रुपवास अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है व उक्त रकबा में पक्के मकानात, बार्ड (गैत) कुछ हिससा खाली पानी से भरा होना अवगत कराया गया है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों अनुसार जमाबंदी संवत् 2012 में आ0ख0न0 1253 रकबा 56.16 बीघा राजकीय खाते में किस्म गै0मुमकिन दर्ज रिकार्ड तथा जमाबंदी संवत् 2020 के खाता संख्या 448 खसरा नम्बर 1253 रकबा 0.08 बीघा पर सोना बल्द बिहारी कौम धीमर सा0देह गैर खातेदार तथा 2021–2024 में खाता संख्या 451 के खसरा नम्बर 1253 मिन रकबा 0.08 बीघा किस्म गै0मु0खान पर सोना बल्द बिहारी कौम धीमर सा0देह गैर खातेदार दर्ज रिकार्ड हुआ है जो विरासत के नामान्तकरण संख्या 1215 से पूनियां बेबा सोना, रामभरोसी शिवसिंह पि0 सोना कटोरा व हरभेजी पुत्री सोना वहिस्सा बराबर कौम धीमर सा0देह गैर खातेदार दर्ज हुआ है। जमाबंदी संवत् 2069–72 में अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 5 गैर खातेदार दर्ज है।

जमाबंदी सम्वत् 2012 में किस्म गैर मुमकिन दर्ज है। उक्त भूमि कभी भी राजकीय खाते में सिवायचक दर्ज नही रही है और न ही भूमि धारा 16 में वर्णित भूमियों की श्रेणी में गै0मु0 खान किस्म आती है। **माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के न्यायिक दृष्टांत 2023(1) आर.आर.टी. 101 में प्रतिपादित आदेश स्टेट बनाम लक्ष्मन वगै0 दिनांक 20.10.2022 द्वारा "राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 धारा 82 द्वारा अप्रार्थीगण को आवंटित की–आवंटन व नामान्तकरण को रद्द करने हेतु रैफरेन्स के समर्थन में वर्ष 1947 का रिकार्ड पेश नही किया गया है जिससे रैफरेन्स अपूर्ण है"।** प्रकरण में उक्त न्यायिक दृष्टांत बखूबी चस्पा होते है। तहसीलदार की रिपोर्ट दिनांक 19.06.2025 से अवगत कराया है कि" आराजी खसरा नम्बर 2042/1253 रकबा 0.08 बीघा अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है तथा उक्त आराजी में पक्के मकानात, बाडे (गैत) कुछ हिस्सा खाली पानी से भरा हुआ है"। प्रार्थी तहसीलदार (भूमिधारी) द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है जिसमें यह स्पष्ट हो सके की उक्त आराजी धारा 16 में प्रतिबन्धित भूमियों की श्रेणी में आती हो।

रैफरेन्स प्रार्थना पत्र के साथ निम्नांकित दस्तावेजात को भी पेश नही किया है जिसमे रैफरेन्स के सबंध में पूर्ण जांच की जानी संभव नही है:–

1. रैफरेन्स के समर्थन में वर्ष 1947 का राजस्व रिकार्ड पेश नही किया गया है।
2. प्रार्थना पत्र रैफरेन्स हाल खसरा नम्बर 2042/1253 रकबा 0.08 बीघा बीघा के सबंध में पेश किया गया है एवं इसके साविक खसरा नम्बर 1253 का उल्लेख किया है लेकिन इसकी ताईद के लिए मिलान क्षेत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश नही की गई है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

(18)

3. विवादित आराजी की किस्म गै0मु0खान होने के सबंध में राज0काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 की प्रतिबंधित भूमियों की श्रेणी में आती हो, का उल्लेख नही किया गया है।

अतः तहसीलदार रूपवास द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र रैफरेन्स उपर्युक्त विवेचन के क्रम में बाद जांच माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को भेजा जाना सम्भव नही है। अतः इस प्रार्थना पत्र को इसी स्तर पर ड्रोप किया जाना उचित प्रतीत होता तहसीलदार रूपवास उपर्युक्तानुसार समस्त दस्तावेज के साथ प्रार्थना पत्र रैफरेन्स पुनः पेश करने हेतु स्वतन्त्र होगें।

निर्णय आज दिनांक 06.02.2026 को लिखाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

(घनश्याम शर्मा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)